उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1346/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.237-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(294)-2023

लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक 30.06.2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची IV में-

(क) क्रम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्;

(1)	(2)	(3)
"227क	कोई भी अध्याय	"विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे",- स्पष्टीकरणः केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 2 (102क) में यथा-परिभाषित "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुड़दौड़; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा से है।";

(ख) क्रम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :

"(v) इस अधिसूचना में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिये समनुदेशित किये गए हैं।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव